न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी सुमन शर्मा आर॰ए॰एस॰

राजस्व वाद संख्या 27 / 2022

1. श्रीमती सज्जनकंवर पुत्री स्व॰ कल्याणसिंह पत्नी छीतरसिंह जाति राजपूत निवासीनी ग्राम बम्बू तहसील बीदासर जिला–चूरू हाल निवासीनी वार्ड नंबर 04, मेजर कॉलोनी, जोबनेर, जयपुर (राजस्थान)
2. श्रीमती घेवरकंवर पुत्री स्व॰ कल्याणसिंह पत्नी सायरसिंह जाति राजपूत निवासीनी ग्राम बम्बू तहसील बीदासर जिला–चूरू हाल निवासीनी बिरधवाल हैड, गंगानगर, हाल ठाकरिया बास, डीडवाना जिला–नागौर (राजस्थान)

.........वादीनीगण........

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर जिला–चूरू राजस्थान
2. श्रीमती विमला कंवर पुत्री स्व॰ कल्याणसिंह पत्नी उम्मेदसिंह जाति राजपूत (भाटी) निवासीनी नन्दड़ा पोस्ट, खिन्दासर तहसील कोलायत जिला–बीकानेर हाल निवासीनी ग्राम बम्बू तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)

<u>दावा घोषणात्मक, रेकॉर्ड दुरूस्ति</u>

उपस्थितः– (1) विद्वान अधिवक्ता श्री रामसिंह राठौड़, श्री अमरसिंह राठौड़ वादीगण की ओर से
(2) प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एक तरफा
(3) राजपैरोकार उपस्थित

दिनांक :7/5/2024

–: निर्णय :–

दावे के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि स्व॰ कल्याणसिंह पुत्र स्व॰ गंगासिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बम्बू तहसील बीदासर जिला–चूरू के कब्जा, काश्त व खातेदारी अधिकारों के खेत वर्तमान खसरा नंबर 154 तादादी 2.0487 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 67 तादादी 0.8600 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 765 / 211 तादादी 12.0899 हैक्टेयर 3 किता खेत कुल तादादी 14.9986 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम बम्बू तहसील बीदासर में थे वर्तमान में उक्त भूमि खेतों पर कब्जा, काश्त, वादीनीगण व प्रतिवादीनी संख्या 2 का चला आ रहा है तथा

लगातार .....2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

स्व॰ कल्याणसिंह का स्वर्गवास दिनांक 18.02.2015 को व उनकी धर्मपत्नी मोहनकंवर का स्वर्गवास दिनांक 13.10.2010 को हो चुका। स्व॰ कल्याणसिंह के स्वर्गवास के पश्चात् वादगत खेतों की खातेदारी उनकी पुत्रियाँ वादीनीगण व प्रतिवादीनी संख्या 2 के नाम खातेदारी दर्ज नहीं हुयी इसलिये वादीनीगण के लिये जरिये घोषणात्मक वाद के खातेदारी दर्ज करवानी आवश्यक हो गयी। स्व॰ कल्याणसिंह के वारिसान वादीनीगण व प्रतिवादीनी संख्या 2 हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत अपने नाम खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारी है तथा स्व॰ कल्याणसिंह के वादीनीगण व प्रतिवादीनी संख्या 2 के अलावा एक पुत्र प्रहलादसिंह था जो स्व॰ कल्याणसिंह के जीवनकाल में सन् 2007 में फौत हो गया था। उनकी धर्मपत्नी अन्यत्र शादी करके स्व॰ कल्याणसिंह के जीवनकाल में चली गयी थी यानि उसे अधिकार मिलने से पूर्व अन्यत्र शादी करके चली गयी। इसलिये उसका कोई हिस्सा वादगत भूमि में नहीं है तथा प्रतिवादीनी संख्या 2 को वादीनीगण ने दिनांक 08.03.2022 को वादगत भूमि की खातेदारी वादीनीगण व प्रतिवादीनी संख्या 2 के नाम दर्ज करवाने का निवेदन किया तो उसने इन्कार कर दिया जिस पर वादीनीगण ने यह घोषणात्मक रेकॉर्ड दुरूस्ति का दावा पेश किया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया, प्रतिवादीनी संख्या 2 न्यायालय में स्वयं उपस्थित आई प्रतिवादीनी संख्या 1 ने जबाब दावा पेश किया तथा जबाब दावा में प्रतिवादी संख्या 1 ने मुख्य रूप से स्व॰ कल्याणसिंह के पूर्व मृत पुत्र प्रहलादसिंह की पत्नी सुमन कंवर मौजद है, बाबत कथन किया। दावे में प्रतिवादी संख्या 1 के जबाब दावा के आधार पर तनकियात कायम की गयी।

वादीनीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में नकल प्रमाणित जमाबंदी प्रदर्श–1, उतराधिकार प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–2 व नकल प्रमाणित उतराधिकार प्रमाण पत्र न्यायालय श्रीमान् अपर जिला न्यायाधीश सुजानगढ़ का आदेश दिनांकित 18.01.2020 प्रदर्श–3 व ग्राम पंचायत का वारिश प्रमाण पत्र प्रदर्श–4 पेश कर प्रदर्शित करवाये वादीगण ने मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यू–1 सज्जनकंवर व पीडब्ल्यू–2 घेवरकंवर के बयान करवाये गये तथा प्रतिवादीनी संख्या 2 न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध न्यायालय द्वारा

लगातार .....3 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

दिनांक 20.07.2022 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी।

बहस अंतिम सुनी गयी वादीगण के अधिवक्तागण ने दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादीनीगण व प्रतिवादीनी संख्या 2 स्व॰ कल्याणसिंह की जायन्दा पुत्रियां है तथा वादीगण ने सक्षम कोर्ट अपर जिला न्यायाधीश सुजानगढ़ से उतराधिकार प्रमाण पत्र जारी करवाया है जो प्रदर्श 2 व 3 दस्तावेजात है। जिसमें वादीनीगण व प्रतिवादीनी संख्या 2 को स्व॰ कल्याणसिंह की वारिसान माना है और वादीनीगण व प्रतिवादीनी संख्या 2 वादगत खेत खसरा नंबर 154 तादादी 2.0487 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 67 तादादी 0.8600 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 765/211 तादादी 12.0899 हैक्टेयर 3 किता खेत कुल तादादी 14.9986 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम बम्बू तहसील बीदासर की भूमि में अपना बहिस्सा बराबर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर अपने नाम से खातेदारी दर्ज करवाने की अधिकारीणी है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया वादीनीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 से 4 दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित करवाये है तथा मौखिक साक्ष में वादीनीगण स्वयं ने पीडब्ल्यू–1 सज्जन कंवर व पीडब्ल्यू–2 घेवरकंवर के बयान करवाये है तथा दस्तावेज प्रदर्श–2 व 3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि सक्षम सिविल न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सुजानगढ़ द्वारा उतराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उक्त प्रमाण पत्र स्व॰ कल्याणसिंह के वारिसान वादीनीगण व प्रतिवादीनी संख्या 2 के नाम से है, जिसकी पत्रावली पर प्रमाणित नकल प्रदर्श–2 व 3 है तथा ग्राम पंचायत का वारिसान प्रमाण पत्र प्रदर्श–4 है। उक्त दस्तावेज से यह साबित है कि स्व॰ कल्याणसिंह के उतराधिकारी वादीनीगण व प्रतिवादीनी संख्या 2 है। दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से वादीगण ने अपने घोषणात्मक वाद को साबित किया है। वादीगण ने तनकियात को पूर्ण रूप से साबित किया है और प्रतिवादी संख्या 1 ने कोई ठोस साक्ष्य सूबत पेश नहीं की है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उठाये गये उजर सक्षम न्यायालय अपर जिला न्यायालय महोदय, सुजानगढ़ द्वारा जारी उतराधिकार प्रमाण पत्र से नासाबित होते है। प्रतिवादी संख्या 1 ने कोई ठोस सबूत जबाब दावे के समर्थन में पेश नहीं किया है, न ही साक्ष्य पेश की है, न ही प्रतिवादी संख्या 1 ने तनकी साबित की है। सम्पूर्ण विवेचना के आधार पर व कानूनी दृष्टि

लगातार .....4 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ सत्यमेव जयते ★ बीदासर जिला–चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

से पिता के जीवनकाल में यदि उसके पुत्र का स्वर्गवास हो गया और उस मृत पुत्र की पत्नी ने अन्यत्र शादी कर ली है तो मृत पुत्र की पत्नी हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत उस सम्पति में कोई कानूनी अधिकार नहीं रखती है। वादीनीगण ने घोषणात्मक वाद को बखुबी साबित किया है। वादीनीगण व प्रतिवादीनी संख्या 2 स्व॰ कल्याणसिंह की जायन्दा पुत्रियां होने के कारण स्व॰ कल्याणसिंह की भूमि में बहिस्सा बराबर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारीणी है तथा वादगत खसरेजात की भूमि में वादीनीगण व प्रतिवादीनी संख्या 2 को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित की जाती है। वादीनीगण का दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः दावा अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वादगत खेत खसरा नंबर 154 तादादी 2.0487 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 67 तादादी 0.8600 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 765/211 तादादी 12.0899 हैक्टेयर कुल तादादी 14.9986 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम बम्बू तहसील बीदासर की भूमि स्व॰ कल्याणसिंह की खातेदारी भूमि होने के कारण वादीनीगण सज्जनकंवर व घेवरकंवर एवं प्रतिवादीनी संख्या 2 विमला कंवर स्व॰ कल्याणसिंह की जायन्दा पुत्रियों को उपर वर्णित खातेदारी भूमि के राजस्व रेकॉर्ड में बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित की जाती है व वादीनीगण सज्जन कंवर, घेवर कंवर व प्रतिवादी संख्या 2 विमला कंवर के नाम से बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी संख्या 1 को आदेश दिया जाता है कि वादगत खसरेजात की भूमि में वादीनीगण व प्रतिवादीनी संख्या 2 के नाम से खातेदारी बहिस्सा बराबर मुताबिक निर्णय डिक्री के राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 7/5/2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमन शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, बीदासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीदासर जिला-चूरू

अन्तिम डिक्री व इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूप 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बीदासर व इजलास सुमन शर्मा आर.ए.एस.

सज्जनकंवर आदि बनाम राजस्थान सरकार आदि

दावा घोषणात्मक

राजस्व वाद संख्या 27/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू हाजरी श्री रामसिंह राठौड़, अमरसिंह राठौड़ वकील वास्ते वादीगण मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादी संख्या 1 राजपैरोकार उपस्थित व प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एक तरफा मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि वादगत खेत खसरा नंबर 154 तादादी 2.0487 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 67 तादादी 0.8600 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 765/211 तादादी 12.0899 हैक्टेयर कुल तादादी 14.9986 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम बम्बू तहसील बीदासर की भूमि स्व. कल्याणसिंह की खातेदारी भूमि होने के कारण वादीनीगण सज्जनकंवर व घेवरकंवर एवं प्रतिवादीनी संख्या 2 विमला कंवर स्व. कल्याणसिंह की जायन्दा पुत्रियों को उपर वर्णित खातेदारी भूमि के राजस्व रेकॉर्ड में बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित की जाती है व वादीनीगण सज्जन कंवर, घेवर कंवर व प्रतिवादी संख्या 2 विमला कंवर के नाम से बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी संख्या 1 को आदेश दिया जाता है कि वादगत खसरेजात की भूमि में वादीनीगण व प्रतिवादीनी संख्या 2 के नाम से खातेदारी बहिस्सा बराबर मुताबिक निर्णय डिक्री के राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अन्तिम डिक्री की पालना बाबत तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

चीज..........—..........मुबलिग..........—..........बाबत..........—..........खर्चा
इस मुकदमें के मय सुद व शरह ....—..........फीसदी
सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक ....—..........को
अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07/5/2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर (मुहर)

दस्तखत........ उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

ओहदा........

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाई	रूपये	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर	—	
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)